अध्याय 2
अधिदेश, लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के तहत तैयार की गई है। लेखापरीक्षा तथा लेखा पर विनियम, 2007 और भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

2.1 कार्यक्षेत्र एंव लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, कंपनी के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र[5] में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए (बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज के साथ) वॉटर इंजेक्शन के निष्पादन की समीक्षा करना है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

1. 'वार्षिक वॉटर इंजेक्शन बिल्ड-अप योजना' में नियोजित वॉटर इंजेक्शन की आवश्यकता क्षेत्र विकास योजनाओं/प्रबंधन द्वारा अनुमोदित व्यवहार्यता रिपोर्ट में परिकल्पित आवश्यकता के अनुरूप थी और जलाशय में नियोजित मात्रा को अंतःक्षेपित किया गया था,
2. जलाशय में आवश्यक मात्रा में जल को अंतःक्षेपित करने हेतु आवश्यक वॉटर इंजेक्शन उपकरण उपलब्ध कराए गए थे।
3. जलाशय में जल की वांछित गुणवत्ता को अंतःक्षेपित किया गया था, और
4. जंग की निगरानी, वॉटर इंजेक्शन लाइनों की पिगिंग, इंजेक्टरों के वर्कओवर[6], इंजेक्शन कुओं की पाइपलाइनों के स्टीमुलेशन परिचालन[7] और इंजेक्टरों के बैकवाश के माध्यम से वॉटर इंजेक्शन सुविधाओं को बनाए रखा गया था।

---

[5] *पश्चिमी अपतटीय संपत्तियों में मुंबई हाई, नीलम और हीरा और बेसिन और सैटेलाइट शामिल हैं। जबकि मुंबई हाई और नीलम और हीरा मुख्य रूप से तेल क्षेत्र हैं, बेसिन और सैटेलाइट में गैस क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, बेसिन और सैटेलाइट में जल का इंजेक्शन मुख्य रूप से दो क्षेत्रों के बीच अवरोध पैदा करने के लिए अपनाया जाता है। बेसिन और सैटेलाइट को वर्तमान लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया है।*

[6] *वर्कओवर या वेल सर्विसिंग कुएं के प्रदर्शन को बहाल करने या सुधारने के लिए कुएं पर किया गया कोई भी ऑपरेशन है।*

[7] *इंजेक्शन क्षमता में सुधार के लिए एक अच्छी तरह से हस्तक्षेप प्रक्रिया।*

2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के लिए मानदंड कंपनी द्वारा अपनाई गई नीतियों/ दिशानिर्देशों/ मानदंडों से तैयार किए गए थे जैसा कि इसके मैनुअल/ आंतरिक दस्तावेजों/निर्धारित प्रक्रियाओं में दर्शाया गया है जो कि जलाशय के स्वास्थ्य, इंजेक्शन जल की गुणवत्ता/मात्रा, कंपनी और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के उपकरणों के रखरखाव/ प्रतिस्थापन/ ओवरहालिंग मानदंडों, जल इंजेक्शन पाइपलाइनों और कुओं/ तारों आदि के रखरखाव और निगरानी तंत्र से संबंधित है। कंपनी द्वारा नियुक्त अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों/इसके आंतरिक अनुसंधान संगठनों की रिपोर्टों पर भी विचार किया गया **(अनुलग्नक-I)**।

2.3 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

दिनांक 8 अप्रैल 2019 को प्रबंधन के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। फील्ड ऑडिट में सूचना/दस्तावेजों का संग्रह एंव समीक्षा, प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श शामिल था और अगस्त 2019 से अप्रैल 2020 तक आयोजित किया गया था। पेट्रोलियम ऊर्जा एंव अध्ययन विश्वविद्यालय (यूपीईएस), देहरादून को लेखापरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन/पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक साथ दिनांक 15 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी। प्रबंधन (फरवरी 2021) और मंत्रालय (जून 2021) की प्रतिक्रिया को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। दिनांक 8 सितंबर 2021 को आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन एंव मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया तथा विचारों को भी रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.4 अभिस्वीकृति

हम लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन हेतु मंत्रालय एंव ओएनजीसी के प्रबंधन तथा कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग को रिकॉर्ड में रखते हैं। हम फील्ड लेखापरीक्षा एंव लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी एंड स्टडीज द्वारा दिए गए सहयोग को भी रिकॉर्ड में रखते हैं।